भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवा-निवृत्त अधिकारियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति

1010. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी राज्यवार तथा संवर्ग-वार सेवा निवृत्त हुए;

(ख) क्या सरकार ने इन सेवा निवृत्त अधिकारियों को किसी अन्य सरकारी सेवा में नियुक्त किया है; यदि हां तो ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है तथा उन्हें किन-किन सेवाओं में नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में कोई विशिष्ट नियम बनाए हैं और क्या इन सेवा निवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति से देश में और अधिक बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) सूचना कृपया विवरण में देखें। (नीचे देखिए)

(ख) सेवा-निवृति के बाद केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त किए जाने वाले भा.प्र.से. के अधिकारियों की संख्या 29 है। वे संगठन जहां उनकी नियुक्ति की गई है, नीचे दिए गए है :—

संगठन का नाम	पदों की संख्या
1. प्रशासनिक अधिकरण	14
2. औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड	4
3. औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निमाण अपील अधिकरण	1
4. प्रधान मंत्री कार्यालय	2
5. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन	1
6. विभिन्न आयोग	7

(ग) और (घ) विभिन्न अर्ध न्यायिक आयोगों/अधिकारणों/ब्यूरों में की जाने वाली नियुक्ति विशिष्ट नियमों द्वारा अधिशासित की जाती है तथा सरकार में सेवा-निवृति की आयु के बाद की नियुक्तियां विशिष्ट दिशा निर्देशों द्वारा अधिशासित होती है। इन विशिष्ट नियमों के अनुसार इन पदों पर सेवा-निवृत अधिकारियों की नियुक्ति अनुज्ञेय है। सेवा-निवृति के बाद नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत कम तथा इसके फलस्वरूप देश में और बेरोजगारी बढ़ने की संभावना नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों की संवर्ग-वार संख्या जो सेवा से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं

क्र०सं०	राज्य संवर्ग का नाम	वर्ष के दौरान सेवा से सेवानिवृत्त हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी		
		1991	1992	1993 (नवम्बर तक)
1	2	3	4	5
1	असम-मेघालय	10	10	12
2	आन्ध्र प्रदेश	16	9	13
3	बिहार	36	16	26
4	गुजरात	07	05	03

1	2	3	4	5
5	हिमाचल प्रदेश	02	–	–
6	हरियाणा	09	05	05
7	जम्मू व कश्मीर	10	08	07
8	केरल	05	05	05
9	कर्नाटक	09	06	05
10	महाराष्ट्र	06	08	03
11	मध्य प्रदेश	19	11	07
12	मणिपुर– त्रिपुरा	06	06	03
13	नागालैण्ड	–	02	02
14	उड़ीसा	12	14	12
15	पंजाब	11	05	12
16	राजस्थान	17	26	20
17	सिक्किम	02	–	03
18	तमिलनाडु	10	11	09
19	उत्तर प्रदेश	16	14	17
20	संघ राज्य क्षेत्र	03	04	05
21	पश्चिम बंगाल	11	22	17
	कुल	217	187	186

Central Legislation for Reservation of Government Jobs for Handicapped

1011. SHRI GURDAS DAS GUPTA :
SHRI N. E. BALARAM :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there has been a persisting demand for the enactment of a comprehensive Central legislation for the reservation of a quota of jobs in Government Departments and Public Sector Undertakings for the handicapped ; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINSTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) No, Sir. There are no persisting demands for a Central leglislation.

(b) Does not arise.

Members of UPSC

1012. SHRI N. GIRI PRASAD :
SHRI GURDAS DAS GUPTA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the existing norms of selection, 50 per cent members of UPSC are selected from amongst Government officials and the remaining 50 per cent from the academic and related fields ;

(b) if so, what are the details in this regard ;

(c) whether it is a fact that in September, 1993, a person was appointed as a member of UPSC ;

(d) whether this appointment is according to the norms; and

(e) if so, from what category this appointment was made ?